पीएमएफएमई योजना

प्रलिमि्स के लयि:

PMFME, NAFED, FPO, एक ज़लि एक उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधति पहल।

मेन्स के लयि:

कृषि विपिणन में सुधार के लयि PMFME योजना का महत्त्व।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय** और **NAFED (नेशनल एग्रीकलचरल कोऑपरेटवि मार्केटगि फेडरेशन ऑफ इंडयिा लमिटिेड) द्वारा 'PM फॉर्मलाइज़ेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसगि एंटरप्राइजेज' (PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises - PM FME) योजना** के अंतर्गत छह, **एक ज़लि एक उत्पाद (ODOP) ब्रांड** लॉन्च कयि गए हैं।

- मंत्रालय ने PMFME योजना के ब्रांडगि और वपिणन घटक के तहत चयनति ODOP के **10 ब्रांड वकिसति करने के लयि NAFED के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर** कयि हैं। इनमें से **छह ब्रांड** अमृत फाल, कोरी गोल्ड, कश्मीरी मंत्र, मधु मंत्र, सोमदाना और दलि्ली बेक्स की सभी व्हीट कुकीज़ हैं।

प्रमुख बदिु

- **परचिय:**
  - इसे **आत्म नरि्भर अभयिान** के तहत शुरू कयि गया है, इसका उद्देश्य **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठति क्षेत्र** में मौजूदा व्यक्तगित सूक्ष्म उद्यमों की प्रतस्पिर्द्धात्मकता को बढ़ाना और क्षेत्र की औपचारकिता को बढ़ावा देना तथा **कसिान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों एवं उत्पादक सहकारी समतियिों को सहायता** प्रदान करना है।
  - यह योजना इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं और उत्पादों के वपिणन के संबंध में पैमाने का लाभ उठाने के लयि **एक ज़लि एक उत्पाद (ओडीओपी)** दृष्टकिोण अपनाती है।
  - इसे पाँच वर्ष (2020-21 से 2024-25) की अवधि के लयि लागू कयि जाएगा।
- **वशिषताएँ:**
  - **एक ज़लि एक उत्पाद (ODOP) दृष्टकिोण:**
    - योजना के लयि ODOP मूल्य शृंखला वकिास और समर्थन बुनयिादी ढाँचे के संरेखण के लयि रुपरेखा प्रदान करेगा। एक ज़लि में ODOP उत्पादों के एक से अधकि समूह हो सकते हैं।
      - एक राज्य में एक से अधकि नकिटवर्ती ज़लिों को मलिाकर ODOP उत्पादों का एक समूह हो सकता है।
    - राज्य मौजूदा समूहों और कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ज़लिों के लयि खाद्य उत्पादों की पहचान करेंगे।
    - ओडीओपी में एक क्षेत्र में व्यापक रूप से उत्पादति तथा खराब होने वाली उपज या अनाज या खाद्य पदार्थ हो सकता है जैसे- आम, आलू, अचार, बाजरा आधारति उत्पाद, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन आदि।
  - **अन्य केंद्रति क्षेत्र:**
    - वेस्ट टू वेल्थ उत्पाद, लघु वन उत्पाद और **आकांक्षी ज़लि**।
    - **क्षमता नरि्माण और अनुसंधान:** राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थानों के साथ-साथ MoFPI के तहत शैक्षणकि और अनुसंधान संस्थानों को सूक्ष्म इकाइयों हेतु प्रशक्षिण, उत्पाद वकिास, उपयुक्त पैकेजगि एवं मशीनरी के लयि सहायता प्रदान की जाएगी।
  - **वत्तिीय सहायता:**
    - मौजूदा व्यक्तगित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां अपनी इकाइयों को अपग्रेड करने की इच्छुक हैं, वे अधकितम 10 लाख रुपए प्रति यूनटि के साथ पात्र परयिोजना लागत के 35% पर क्रेडटि-लक्ड कैपटिल सब्सडिी का लाभ प्राप्त सकती हैं।
    - एफपीओ/ एसएचजी/ सहकारी समतियिों या राज्य के स्वामति्व वाली एजेंसयिों या नजिी उद्यम के माध्यम से सामान्य प्रसंस्करण सुवधि, प्रयोगशाला, गोदाम आदि सहति सामान्य बुनयिादी ढाँचे के वकिास के लयि 35% पर क्रेडटि लक्ड अनुदान के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी।

- 40,000 रुपए सीड कैपिटल (प्रारंभिक वित्तपोषण) प्रति **स्वयं सहायता समूह** के सदस्य को कार्यशील पूंजी और छोटे उपकरणों की खरीद हेतु प्रदान किया जाएगा।
- **'मार्केटिंग' और 'ब्रांडिंग' सहायता:**
  - इस योजना के तहत **एफपीओ/एसएचजी/सहकारिता समूहों** या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के SPV को 'मार्केटिंग' और ब्रांडिंग सहायता प्रदान की जाएगी, जो इस प्रकार हैं:
    - 'मार्केटिंग' से संबंधित प्रशिक्षण।
    - मानकीकरण सहित एक सामान्य ब्रांड और पैकेजिंग का विकास करना।
    - राष्ट्रीय और क्षेत्रीय खुदरा शृंखलाओं के साथ विपणन गठजोड़।
    - उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये गुणवत्ता नियंत्रण आवश्यक मानकों को पूरा करना।

- **वित्तपोषण:**
  - यह **10,000 करोड़ रुपए** के परिव्यय के साथ केंद्र प्रायोजित योजना है।
  - इस योजना के तहत व्यय को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच **60:40** के अनुपात में, उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के संदर्भ में **90:10** के अनुपात में, विधायिका युक्त केंद्रशासित प्रदेशों के साथ **60:40** के अनुपात में और अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के लिये केंद्र द्वारा **100%** साझा किया जाएगा।
- **आवश्यकता:**
  - लगभग 25 लाख इकाइयों वाले असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से जुड़े रोज़गार में 74 प्रतिशत योगदान है।
  - इनमें से लगभग 66% इकाइयाँ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं और उनमें से लगभग 80% परिवार आधारित उद्यम हैं जो ग्रामीण परिवारों की आजीविका का समर्थन करते हैं तथा शहरी क्षेत्रों में उनके प्रवास को कम करते हैं।
    - ये इकाइयाँ बड़े पैमाने पर सूक्ष्म उद्यमों की श्रेणी में आती हैं।
  - असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कई चुनौतियों का सामना करता है जो उनके प्रदर्शन और विकास को सीमित करता है। इन चुनौतियों में आधुनिक तकनीक व उपकरणों तक पहुँच की कमी, प्रशिक्षण, संस्थागत ऋण तक पहुँच, उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण पर बुनियादी जागरूकता की कमी और ब्रांडिंग व मार्केटिंग कौशल आदि की कमी शामिल हैं।
- **संबंधित विभिन्न पहल:**
  - **प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना।**
  - कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA)।
  - न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)।
  - कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP)।
  - राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी)।
  - कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन।
  - मसौदा खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम।

राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

- **परिचय:**
  - यह भारत में **कृषि उत्पादों संबंधी विपणन सहकारी समितियों का एक शीर्ष संगठन** है।
  - इसकी **स्थापना 2 अक्तूबर, 1958 को** हुई थी और यह **बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत** है।
  - NAFED अब **भारत में कृषि उत्पादों के लिये सबसे बड़ी खरीद एवं विपणन एजेंसियों में से एक** है।
- **उद्देश्य:**
  - कृषि, बागवानी और वन उपज के विपणन, प्रसंस्करण तथा भंडारण को **व्यवस्थित करना, बढ़ावा देना एवं विकसित करना**।
  - **कृषि मशीनरी, उपकरण तथा अन्य आदानों को वितरित करना** , अंतर-राज्यीय, आयात और निर्यात व्यापार, थोक या खुदरा किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व लेना।
  - भारत में इसके सदस्यों, भागीदारों, सहयोगियों और सहकारी विपणन, प्रसंस्करण एवं आपूर्ति समितियों के प्रचार तथा कामकाज के लिये **कृषि उत्पादन में तकनीकी सलाह हेतु कार्य करना व सहायता करना**।

?????- ??.??.??

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/pmfme-scheme